हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार
की

34वीं बोर्ड बैठक दि0 26-3-2002

का एजेण्डा

समयः प्रातः 11.00 बजे
स्थानः प्राधिकरण सभागार

Scanned by CamScanner

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	विगत बोर्ड बैठक दि0 21-12-99 में लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन ।	01 से 04
2.	विगत बोर्ड बैठक दि0 15-06-2001 की कार्यवाही की पुष्टि एवं क्रियान्वयन ।	05 से 14
3.	**प्राधिकरण की 34 वीं बोर्ड बैठक दि0 26-03-2002 का एजेण्डा मद :-**	15 से 27
3(1)	हरिद्वार विकास प्राधिकरण के वर्ष 2001-2002 का पुनरीक्षित एवं वर्ष 2002-03 के प्रस्तावित आय-व्ययक के सम्बन्ध में ।	16 से 22
3(2)	पन्त द्वीप के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग पर दो सब वे बनाये जाने के सम्बन्ध में।	23
3(3)	भल्ला कालेज मैदान की भूमि पर स्पोटर्स काम्पलेक्स बनाये जाने हेतु भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।	23
3(4)	ऋषिकेश में तीन हाई मास्ट लाईटें लगाने के सम्बन्घ में।	23
3(5)	कडच्छ ज्वालापुर से लगी यू.पी.एस.आई.सी. की 6.5 एकड़ भूमि के भुगतान के सम्बन्ध में।	24
3(6)	रोडी सेक्टर में सी.सी.आर(केन्द्रीय नियन्त्रण कक्ष) के निर्माण के सम्बन्ध में।	24
3(7)	ललतारौव पुल बाल्मिकी चौक पर श्री अनिरूद्ध कुमार झा द्वारा प्रस्तावित भवन मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।	25
3(8)	प्राधिकरण में अनुबन्ध पर कार्यरत सेवानिवृत्त तहसीलदार के अनुबन्ध वेतन वृद्धि पर विचार।	25
3(9)	प्रस्तावित नई योजनाओं हेतु हुडकों से ऋण प्राप्ति हेतु बोर्ड की अनुमति के सम्बन्ध में ।	26
3(10)	विभिन्न विकास कार्यो के सम्बन्ध में।	27

Scanned by CamScanner

प्राधिकरण की बैठक दि0 21-12-99 में लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन

Scanned by CamScanner

मद सं0-34.01

विषयः विगत बोर्ड बैठक दि0 21-12-99 में लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन ।

क्र.सं0	विषय	निर्णय	अनुपालन
1.	अन्तर्राष्ट्रीय बस अड्डा (आई. एस.बी.टी.) स्थापित करने विषयक ।	निर्णय हुआ कि सचिव, ह0वि0प्रा0की अध्यक्षता में स्थल निरीक्षण हेतु नगर नियोजक, अधिशासी अभियन्ता हरिद्वार विकास प्राधिकरण स्थल के सम्बन्ध सभी पहलुओं पर गहनता से अध्ययन करते हुए अपनी रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।	समिति द्वारा संयुक्त रूप से दक्षदीप में प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया गया सम्बन्धित भूमि वन विभाग की है। जिसके हस्तान्तरण में समय लगेगा तथा भूमि प्राप्त होने की सम्भावना भी अधिक प्रतीत नही होती है।
2.	अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में।	श्री राममूर्ति वीर गैर सरकारी सदस्य द्वारा सुझाव दिया गया कि अनधिकृत कालोनी की जिम्मेदारी तय करते हुए संलिप्त अधिकारियों अवर अभियन्ता से उपाध्यक्ष तक की भूमिकाओं की जाँच की जाय। इस सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट दि0 30-6-01 तक आयुक्त/अध्यक्ष को प्रस्तुत करने हेतु उपरोक्त जाँच सचिव, ह.वि.प्रा. द्वारा उपाध्यक्ष को शीघ्र अति शीघ्र प्रस्तुत की जायेगी।	लगभग 75 प्रतिशत जाँच पूर्ण हो चुकी है। चूँकि यह एक गम्भीर एवं विस्तृत प्रकरण है तथा पूर्व अनेकानेक उपाध्यक्ष /सचिव/नगर नियोजक/अधि. अभि0/सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता मिलाकर कई अधिकारी इस प्रकरण में संलिप्त है, जिनसे वार्ता की जानी है। कुछ अधिकारियों को इस सम्बन्ध

Scanned by CamScanner

हरिद्वार विकास प्राधिकरण की 34 वीं बैठक दि0 26-03-2002 का कार्यवृत्त

प्राधिकरण की 34 वीं बोर्ड बैठक दि0 26-03-2002 को अध्यक्ष/आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, देहरादून की अध्यक्षता में हरिद्वार विकास प्राधिकरण के सभागार में आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थिति निम्नवत रही-

1	श्री सुभाष कुमार, आयुक्त, गढवाल मण्डल, देहरादून ।	अध्यक्ष
2	डा0दिलबाग सिंह, उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण ।	उपाध्यक्ष
3	श्री हरिश्चन्द्र जोशी, जिलाधिकारी, हरिद्वार ।	पदेन सदस्य
4	श्री बृज बी0 रतन, प्रभारी अधिकारी नगर एवं ग्राम नियोजक उत्तराँचल, देहरादून ।	पदेन सदस्य
5	श्री राममूर्ति वीर	गैर सरकारी सदस्य
6	श्री संजय सहगल	गैर सरकारी सदस्य
7	श्री सुरेश चन्द्र शर्मा	गैर सरकारी सदस्य
8	श्रीमती स्नेहलता शर्मा, अध्यक्षा, नगरपलिका ऋषिकेश	पदेन सदस्य
9	श्री एस.डी.सिंह, अधिशासी अधिकारी नगरपंचायत बी.एच.ई.एल	पदेन सदस्य
10	श्री जी.के.किशोर, प्रोजेक्ट मैनेजर सुलभ इण्टरनेशनल ।	विशेष आमन्त्री सदस्य

सर्वप्रथम विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा बोर्ड के सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। नवसृजित उत्तराँचल राज्य में प्राधिकरण बोर्ड की 34 वीं द्वितीय बैठक में उपाध्यक्ष द्वारा सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया है तथा अध्यक्ष/आयुक्त महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी, जिसका विवरण निम्नवत है-

मद सं0-34.01: विगत बोर्ड बैठक दि0 21-12-99 में लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन

विगत बैठक के निर्णयों के क्रियान्वयन/अनुपालन के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गयी। अनुपालन से सहमत होते हुये सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

Secretary Vice Chairman Chairman/Commissioner

Scanned by CamScanner

		में पत्र प्रेषित किये जा चुके है तथा कुछ पत्रावलियां भी अभी ट्रेस की जानी है। अत: इस कार्य में अभी तीन माह और समय लगने की सम्भावना है।
3. स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत भू-प्रयोग परिवर्तन से प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रक्रिया में स्पष्टीकरण ।	समिति में सहयुक्त नियोजक मेरठ के स्थान पर सहयुक्त नियोजक गढ़वाल देहरादून को शामिल करके शेष प्रकरणों में अनुस्मारक भेजे जाने का निर्णय हुआ है।	उक्त शमन योजना में शासनादेश सं.-6073/9-आ 1-1999-120/विविध/98 दिनांक 7-12-99 के अंतर्गत प्राधिकरण की 29 बी बोर्ड बैठक द्वारा गठित समिति की जॉच आख्यानुसार संबंधित प्रकरणो में स्थल का भूउपयोग आवासीय है परन्तु स्थल पर व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। भू-उपयोग परिवर्तन का अधिकार शासन में निहित होने के कारण निम्नांकित प्रकरणो में निम्नानुसार कार्यवाही की गई -

Scanned by CamScanner

(1) अन्तर्राष्ट्रीय बस अड्डा (आई.एस.बी.टी.) स्थापित करने विषयक ।

निर्णय हुआ है कि दक्ष मन्दिर के सामने दक्षेश्वर द्वीप कनखल में आई.एस.बी.टी बनाने हेतु वन विभाग से 200 एकड़ भूमि प्राप्त करने हेतु जिलाधिकारी हरिद्वार अपने स्तर से कार्यवाही करें।

(2) अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में ।

दि0 15-6-2001 को हुई बोर्ड बैठक में श्री राममूर्ति वीर गैर सरकारी सदस्य के प्रस्ताव पर आयुक्त/अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये थे कि अनाधिकृत कालोनी के निर्माण की विस्तृत जाँच का जिम्मेदारी तय करते हुए सचिव, ह.वि.प्रा. इस सम्बन्ध में अपनी आख्या दि. 30-6-2001 तक आयुक्त/अध्यक्ष, ह.वि.प्रा.को प्रस्तुत करेंगे।

दि0 26-3-2002 को हुई बोर्ड बैठक में पाया गया कि सचिव, ह0वि0प्रा0 ने अभी तक उपरोक्त जाँच पूर्ण नही की है। इस पर आयुक्त/अध्यक्ष, ह.वि.प्रा. ने सचिव,ह0वि0प्रा0 श्री रमाशंकर को 10 दिन में प्रतिकूल प्रविष्टि देने एवं उन्हें चार्ज शीट देने का आदेश दिया।

(3) स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत भू-प्रयोग परिवर्तन से प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रक्रिया में स्पष्टीकरण ।

निर्णय हुआ कि श्री राजेन्द्र दास, पंचायती अखाडा, कनखल के प्रकरण में शासन को भू-प्रयोग परिवर्तन के संबंध में अनुस्मारक भेजा जाय तथा अन्य शेष आवेदकों क्रमशः श्रीमती कमल मनचन्दा, निकट रेलवे फाटक रोड ज्वालापुर, श्रीमती सुदेश भाटिया श्रीनाथ नगर, रोमी वीडियो के निकट ज्वालापुर एवं श्री पुनीत मित्तल, आर्य नगर चौक ज्वालापुर के प्रार्थना-पत्रों को उनके द्वारा वाँछित अभिलेख ह.वि.प्रा. को उपलब्ध न कराने के कारण निरस्त करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाय। अतः ऐजण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

Secretary

Vice Chairman

Chairman/Commissioner

Scanned by CamScanner

1 श्री राजेन्द्र दास, पंचायती अखाडा, कनखल के प्रकरण में भू-स्वामित्व के अभिलेख आदि प्राप्त हो चुके है। अत: प्रकरण संयुक्त सचिव, उत्तरांचल ाासन, देहरादून को भू-प्रयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में प्राधि-करण पत्र दि. 28फरवरी,01 एवं अनुस्मारक 12 मार्च,02 द्वारा प्रेषित किये जा चुके है।

2. श्रीमती कमल मनचन्दा, निकट रेलवे फाटक रोड,ज्वा0

3. श्रीमती सुदेश भाटिया, श्रीनाथ नगर, रोमी वीडियो के निकट ज्वालापुर ।

4. श्री पुनीत मित्तल, आर्य नगर चौक, ज्वालापुर ।

क्रमांक 2,3,4 में विपक्षी को समिति की आख्यानुसार स्थल की स्थिति सजरा प्लान पर अंकित कराते हुए तहसीलदार हरिद्वार द्वारा प्रमाणित प्रति हेतु क्रमश: 2,3 में प्राधिकरण पत्र दि. 25 जनवरी,01 एवं अनु-स्मारक दि. 15 मार्च,02 द्वारा भेजे जा चुके है एवं क्रमांक-

Scanned by CamScanner

			4 में प्राधिकरण के पत्र दि. 20-9-2000 एवं दि. 15-3-2002 को अनुस्मारक भेजा जा चुका है।
			5. श्रीमती सुशीला देवी, शास्त्री नगर, ज्वालापुर के प्रकरण में समिति की जाँच आख्यानुसार स्थल का क्षेत्रफल नगण्य होने के कारण (6वर्ग मी0) महायोजना में अंकित किया जाना उचित नही पाया गया। पक्ष से परिवर्तन शुल्क प्राप्त कर लिया गया है।
			उपरोक्त क्रमांक 2,3 तथा 4 में पक्ष द्वारा आवश्यक अभिलेख जमा करने के उपरांत प्रकरण भू-प्रयोग परिवर्तन हेतु शासन को सन्दर्भित किया जायेगा।
4.	हरिद्वार विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में गंगा नदी के तट से दोनों ओर 200 मी0 तक के शमन प्रकरणों पर विचार।	माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अध्यक्ष/आयुक्त,ह0वि0प्रा0द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में शासनादेश दि0 23-9-98 जारी होने की तिथि तक जो निर्माण हो चुके थे, उन्हें शमनित हेतु दिया जाय। शासन के आदेश जारी होने के पश्चात हुए निर्माणों को शमन नही किये जायेंगे। यह भी निर्णय हुआ कि उ.प्र.शासन के तीनों शासनादेशों को उत्तरांचल शासन को सन्दर्भित किया जाय।	दि. 23-9-98 तक विचाराधीन वाद शमनित किये जा चुके है। तथा उ.प्र.शासन के तीनों शासनादेशों को उत्तरांचल शासन को प्रेषित किये जा चुके है।

Scanned by CamScanner

प्राधिकरण की बैठक दि0 15-06-2001 की कार्यवाही की पुष्टि एवं क्रियान्वयन

Scanned by CamScanner

मद सं0-34.02

विषय: विगत बोर्ड बैठक दि0 15-6-2001 की कार्यवाही की पुष्टि।

प्राधिकरण की विगत बोर्ड बैठक दि0 15-6-01 को सम्पन्न हुई थी।बैठक की कार्यवाही प्राधिकरण के सभी माननीय सदस्यों एवं पदाधिकारियों को प्रेषित की जा चुकी है। किसी भी सदस्य/पदाधिकारी द्वारा कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत नही किया गया है। कार्यवाही की पुष्टि प्रस्तावित है।

मद सं0-34.03

विषय: विगत बोर्ड बैठक दि0 15-6-2001 में लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन ।

क्र.सं0	विषय	निर्णय	अनुपालन
1.	प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2000-2001 का पुनरीक्षित/ वास्तविक एवं वर्ष 2001-02 के प्रस्तावित आय-व्ययक के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से वर्ष 2000-2001 का पुनरीक्षित/वास्तविक एवं वर्ष 2001-2002 के प्रस्तावित आय-व्ययक को अनुमोदित किया गया।	निर्णयानुसार स्वीकृत बजट लक्ष्यों के अनुसार प्राप्तियों एवं भुगतान किये गये। पूर्ण विवरण चालू वित्तीय वर्ष के प्रस्तावित आय-व्ययक में प्रस्तुत है।
2.	हरिलोक आवासीय योजना भाग-2 हेतु 114.136 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के सम्बन्ध में।	हरिलोक आवासीय योजना भाग-1 के समीप हरिलोक भाग-2 के विकास हेतु 114.136 हेक्टेयर भूमि के क्रय/अधिग्रहण प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति के साथ प्रथम चरण में रूड़की मार्ग से आवासीय भू-उपयोग तक की लगभग 50 हेक्टेयर भूमि क्रय/अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ करने व वर्ष 2001-02 में इस कार्य हेतु रू0 5.00 करोड़ व्यय करने के प्रस्ताव पर सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया ।	हरिलोक आवासीय योजना भाग-2 के अन्तर्गत 48.462 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण का प्रस्ताव जिलाधिकारी हरि. को दि0 27-11-01 भेजा गया था। इस सन्दर्भ में पुन: भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र किये जाने हेतु जिलाधिकारी देहरादून से अनुरोध किया गया है।

Scanned by CamScanner

(4) हरिद्वार विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में गंगा नदी के तट से दोनों ओर 200 मी0 तक के शमन प्रकरणों पर विचार ।

निर्णय हुआ कि सर्वप्रथम दि0 23-9-98 से पूर्व के समस्त प्रकरणों को चिन्हित/सूचीबद्ध करते हुए कुल कितने मामले है तथा कितने शमनित किये जा सकते है तथा कितने निर्माण चल रहे हैं।इसका सही-सही पता लगाकर श्री कप्तान सिंह, सहायक अभियन्ता 15 दिन में सुस्पष्ट एवं विस्तृत आख्या सौपेंगे तत्पश्चात् अवैध निर्माण कराने हेतु सम्बन्धित जे.ई./ए.ई की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाय।

मद सं0-34.03: विगत बोर्ड बैठक दि0 15-06-2001 में लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन

विगत बैठक के निर्णयों के क्रियान्वयन/अनुपालन के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गयी। अनुपालन से सहमत होते हुये सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

(1) हरिद्वार विकास प्राधिकरण के वर्ष 2000-01 का पुनरीक्षित/वास्तविक एवं वर्ष 2001-2002 के प्रस्तावित आय-व्ययक के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से वर्ष 2000-01 का पुनरीक्षित/वास्तविक एवं वर्ष 2001-2002 के प्रस्तावित आय-व्ययक को अनुमोदित किया गया।

अनुपालन से सहमति के साथ यह मद एजेण्डा से समाप्त किया जाता है।

(2) हरिलोक आवासीय योजना भाग-2 हेतु 114.136 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के सम्बन्ध में ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये है कि जिलाधिकारी हरिद्वार, एस.डी.एम. लक्सर को एस.एल.ए.ओ. नामित कराने हेतु शासन से नाटिफिकेशन कराने की कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र करें। तद्नुसार भूमि अधिग्रहण हेतु बोर्ड द्वारा सहमति देते हुए एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

Secretary | Vice Chairman | Chairman/Commissioner

Scanned by CamScanner

3.	बी.एच.ई.एल की निष्प्रोज्य भूमि में से 400 एकड़ भूमि पर आवासीय योजना के सम्बन्ध में।	चिन्मय डिग्री कालेज से रोशनाबाद मार्ग के बायीं ओर बी.एच.ई.एल की लगभग 658 एकड़ भूमि में से 400 एकड़ भूमि प्राप्त कर उक्त परियोजना विकसित कर भूखण्ड विक्रय करने के प्रस्ताव पर सर्व सम्मति से अनुमोदन प्राप्त किया गया।	इस प्रकरण पर बी.एच.ई.एल से इस कार्यालय के पत्र सं0 दि0 2-6-01 द्वारा अनुरोध किया गया था जिस पर बी. एच.ई.एल के पत्र सं0-635 दि. 16-6-2001 द्वारा भूमि उपलब्ध कराये जाने में असमर्थता व्यक्त की गई है।
4.	ट्रांसपोर्ट नगर हरिद्वार हेतु 11 से बढ़ाकर 15.258 हेक्टेयर भूमि क्रय करने के सम्बन्ध में।	हरिद्वार में ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना हेतु ग्राम ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार में मण्डी स्थल के निकट 15.258 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए उक्त योजना हेतु कृषि एवं हरित पट्टी की 2.957 हेक्टेयर भूमि, भण्डारण की 1.107 हेक्टेयर भूमि का भू-प्रयोग ट्रांसपोर्ट नगर में परिवर्तित करने तथा ट्रांसपोर्ट नगर से 0.178 हेक्टेयर भूमि का भू-प्रयोग भण्डारण में परिवर्तित करने पर सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान करते हुए भू-प्रयोग प्रस्ताव शासन की स्वीकृति हेतु सन्दर्भित करने का निर्णय लिया गया।	निर्णयानुसार हरिद्वार ट्रांसपोर्ट नगर योजना हेतु ज्वालापुर नवीन मण्डी के निकट 15 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण हेतु मुआवजे की 10 प्रतिशत धनराशि रू0 80.00 लाख विशेष भूमि अध्याप्ति अधि0 देहरादून को दि0 24-10-01 को भेजी जा चुकी है। धारा-6(1)/17 की विज्ञप्ति जारी करने हेतु विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, देहरादून के पत्र सं0-1224 दि. 15-3 -02 के द्वारा इस योजना हेतु अवशेष राशि रूपये 6,95,41,156.00 की मांग प्राधिकरण से की गई है। उक्त हेतु हडको से ऋण

Scanned by CamScanner

(3) बी.एच.ई.एल की निष्प्रोज्य भूमि में से 400 एकड़ भूमि पर आवासीय योजना के सम्बन्ध में ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये है कि जिलाधिकारी हरिद्वार, भूमि के पुर्न अधिग्रहण हेतु कानूनी राय लेते हुए आवश्यक कार्यवाही करें। भूमि अधिग्रहण हेतु बोर्ड द्वारा सहमति देते हुए एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

(4) ट्रांसपोर्ट नगर हरिद्वार हेतु 11 से बढ़ाकर 15.258 हेक्टेयर भूमि क्रय करने के सम्बन्ध में ।

ट्रांसपोर्ट नगर योजना हेतु भूमि क्रय करने हेतु बोर्ड द्वारा सहमति देते हुए तत्काल अग्रिम कार्यवाही कराने के निर्देशों के साथ एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

(5) ऋषिकेश ट्रांसपोर्ट नगर हेतु भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में ।

निर्णय हुआ कि एस.एल.ए.ओ. देहरादून द्वारा वाँछित प्रतिकर रू0 5,18,36,400.00 की दस प्रतिशत धनराशि रूपये 52.00 लाख प्रश्नगत भूमि की उपयोगिता/उपयुक्तता एवं ग्राह्यता सिद्ध करने वाली समिति की संस्तुति के उपरान्त ही जमा कराया जाय।

(6) हरिद्वार महायोजना के सर्वेक्षण (एम.डी.डी.ए.पैटर्न) के सम्बन्ध में ।

निर्णय हुआ कि 4500 हेक्टेयर क्षेत्र का अतिरिक्त सर्वेक्षण तीन माह के अन्दर पूर्ण कराया जाय। इस मद हेतु रू0 14.00 लाख की अतिरिक्त स्वीकृति बोर्ड द्वारा प्रदान की गयी। अत: एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

(7) प्राधिकरण की योजनाओं में अनिस्तारित सम्पत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में ।

दि0 15-6-2001 की बोर्ड बैठक में श्यामलोक योजना में होटल एवं आश्रम हेतु आरक्षित दो भूखण्डों का निस्तारण क्रमश: 2680 वर्ग मी. व 600 वर्ग मी. का भू-उपयोग परिवर्तित कर परिचालन विधि से किये जाने का निर्णय हुआ था। चूँकि 2680 वर्ग मी. होटल हेतु आरक्षित एवं 600 वर्ग मी. आश्रम हेतु आरक्षित भूखण्डों का निस्तारण सात

Secretary Vice Chairman Chairman/Commissioner

Scanned by CamScanner

			प्राप्ति की कार्यवाही प्राथमिकता पर की जा रही है। भू-प्रयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रस्ताव शासन की स्वीकृति हेतु प्राधिकरण के पत्र सं0-1166 द्वारा दिनांक 13-11-01 द्वारा प्रेषित किया गया था। शासन के पत्र दि. 8-2-02 द्वारा प्रस्ताव प्रेषित करने के निर्देश प्राप्त हुए थे जो प्राधिकरण के पत्र दि0 26-2-02 द्वारा शासन को प्रेषित किया गया।
5.	ऋषिकेश ट्रांसपोर्ट नगर हेतु भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में।	फिजीबिलिटी रिपोर्ट दि0 20-65-01 तक आने के बाद भूमि क्रय सम्बन्धी कार्यवाही पर बोर्ड द्वारा सहमति दी गई।	निर्णयानुसार ग्राम गुमानीवाला, ऋषिकेश में ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित करने हेतु 16.518 हेक्टेयर भूमि अर्जन का प्रस्ताव भूमि अधिग्रहण अधिनियम की 4/17 के अन्तर्गत विशेष भूमि अध्याप्ति अधि0 देहरादून को दि0 9-8-01 को प्रेषित किया जा चुका है। जो कि धारा 4 हेतु एस.एल. ए.ओ. स्तर पर लम्बित है।

Scanned by CamScanner

6.	हरिद्वार महायोजना के सर्वेक्षण (एम.डी.डी.ए. पैटर्न)सम्बन्ध में।	हरिद्वार महायोजना के पुनरीक्षण हेतु भौतिक सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्य कराये जाने के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रभारी अधिकारी, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग देहरादून द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि रिमोट सेन्सिंग संस्थान द्वारा सैटेलाइट इमेजारी के माध्यम से से उपलब्ध कराया जाने वाला मानचित्र पर्याप्त नही होगा। हवाई सर्वेक्षण पर अत्यधिक समय तथा धनराशि व्यय होने की सम्भावना है, अत: उचित होगा कि समाचार पत्रों के माध्यम से टेण्डर आमन्त्रित कर सर्वेक्षण कर्ता के चयन कर कार्य प्रारम्भ करा दिया जाय। सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा टेण्डर के माध्यम से 7000 हेक्टेयर भूमि का सर्वेक्षण कार्य तुरन्त प्रारम्भ करने का सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया तथा इस कार्य हेतु रू0 25.00 लाख व्यय किये जाने पर स्वीकृति प्रदान की गयी। सचिव,ह.वि.प्रा. की अध्यक्षता में निम्न टेण्डर समिति पर सहमति प्रदान की गयी। 1. प्रभारी अधिकारी, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग देहरादून । सदस्य 2. एस.एफ.ए.ओ, एच.डी.ए. सदस्य 3.नगर नियोजक, एच.डी.ए. सदस्य	निर्णयानुसार सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है। अनुबन्ध में प्राविधानित क्षेत्रफल 7000 हेक्टेयर का सर्वेक्षण हो चुका है। सहयुक्त नियोजक,गढवाल सम्भागीय नियोजन खण्ड,नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग दे.दून के पत्रांक-98/गढ़वाल/हरिद्वार महा./भौ.सर्वे/02 दि. 2-3-02 के अनुसार हरिद्वार विकास क्षेत्र में चल रहे भौतिक सर्वेक्षण कार्य को सम्मिलित करते हुए लगभग 4500 हेक्टेयर क्षेत्र का अतिरिक्त सर्वेक्षण को आवश्यक बताया गया है तथा इस अति-रिक्त सर्वेक्षण कार्य हेतु कार्य विस्तार सम्बन्धी आदेश पूर्व निर्धारित दरों(रू. 293 प्रति हेक्टेयर) पर तीन माह की समयावधि के साथ किये जाने की संस्तुति की गई है। प्रकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
7.	प्राधिकरण की योजनाओं में अनिस्तारित सम्पत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि सम्पत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हुए इसे परिचालन विधि से शीघ्र अनुमोदन कराया जाय।	श्यामलोक योजना में होटल हेतु 2680 वर्ग मी. भूखण्ड तथा 600 वर्ग मी आश्रम हेतु

Scanned by CamScanner

आरक्षित भूखण्डों का विगत 6 वर्ष में 8बार विज्ञापन छपवाने के बाद भी निस्तारण नहीं हो पाया है। पिछली बैठक में इनका निस्तारण हेतु परिचालन विधि से करने का प्रस्ताव पारित हुआ था किन्तु यहाँ यह उल्लेखनीय है कि होटल एवं आश्रम हेतु आरक्षित उक्त भूखण्डों का मूल्य योजना प्रारम्भ के समय वर्ष 1996 में क्रमशः रू. 2995.00 प्रति वर्ग मी. एवं रू. 1996.00 प्रति वर्ग मी. था जिस पर निरन्तर ब्याज लगाते हुए वर्तमान में उक्त दर बढकर क्रमशः रू. 5975.00 प्रति वर्ग मी. एवं रू. 3400.00 प्रति वर्ग मी. हो चुकी है। जो कि बाजार भाव से अत्यधिक प्रतीत होती है। अतः उक्त दोनों भूखण्डों का निस्तारण तभी सम्भव प्रतीत होता है जब इनका भू-प्रयोग व्यवसायिक/आश्रम से आवासीय कर दिया जाय। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि

Scanned by CamScanner

		ह.वि.प्रा. के सदस्य श्री राममूर्ति वीर तथा श्री संजय सहगल ने लिखित सुझाव दिया है कि प्रश्नगत भूखण्डों का भू-प्रयोग आवासीय कर रू. 2200.00 प्रति वर्ग मी.कर इनका त्वरित निस्तारण किया जाय।
8.	आई.ओ.सी.पैट्रोल पम्प के विचाराधीन वाद सं0-552/99-00 के शमन के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में मार्गदर्शक (गाइड लाइन्स) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के कार्यालय से शीघ्र प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।	निर्णयानुसार मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के कार्यालय से प्राप्त गाइड लाइन बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
9.	दूर संचार केन्द्र, देहरादून के विचाराधीन वाद सं0-नोटिस ऋषि-6/96-97 एवं नोटिस ऋषि-21/94-95 में शमन शुल्क के सम्बन्ध में।	अधिशासी अभियन्ता दूर संचार द्वारा दि0 30-1-96 को प्रस्तुत शमन मानचित्र सम्यक् विचारोपरान्त सर्व सम्मति से अस्वीकृत कर दिया गया। अतएव यह निर्णय हुआ कि रू0 2.26 लाख शमन शुल्क दूरसंचार विभाग से यथाशीघ्र वसूल किया जाय।	निर्णयानुसार शमन शुल्क जमा कराये जाने हेतु सूचना विभाग को प्रेषित की जा चुकी है।

Scanned by CamScanner

बार समाचार पत्रों में विक्रय हेतु विज्ञापन देने के उपरान्त भी सम्भव नही हो पाया था। इस प्रकार प्राधिकरण को इस सम्पत्ति के विक्रय से एक बड़ी राशि प्राप्त नहीं हो पा रही है। इस हेतु गहन विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श में श्री राममूर्ति वीर एवं श्री संजय सहगल, गैर सरकारी सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया कि उपरोक्त दोनों भूखण्डों को आवासीय में परिवर्तित कर तथा साईज छोटे करके रू 1800/- प्रति वर्ग मी0 की दर से विक्रय कर दिया जाये। इस पर श्री बी.बी.रतन, प्रभारी नगर नियोजक एवं ग्राम नियोजक उत्तरांचल शासन ने सुझाव दिया कि यह दर रू0 2200/- प्रति वर्ग मी0 कर दी जाये। किन्तु उपाध्यक्ष ने इन दरों को कम मानते हुए विरोध दर्ज करते हुए सुझाव दिया कि इन भूखण्डों के साइज छोटे न किये जाये क्योंकि साइज छोटे करने में सड़क आदि का प्राविधान करना होगा जिससे काफी भूमि खराब होगी साथ ही दरें कम से कम इस क्षेत्र का सरकारी सर्किल रेट अथवा जिस दर पर इस योजना में अन्तिम भूखण्ड विक्रय हुआ है, उनमें जो अधिक हो उस दर से होटल हेतु आरक्षित भूखण्ड को ग्रुप हाउसिंग/आश्रम/धर्मशाला उपयोग हेतु परिवर्तित करते हुए नियमानुसार नीलामी द्वारा विक्रय कर दिया जाये ताकि प्राधिकरण को अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त हो सकेगा। अन्त में प्राधिकरण हित में उपाध्यक्ष के सुझाव से सहमत होते हुए बैठक में उक्त भूखण्डों के निस्तारण हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

(8) आई.ओ.सी.पैट्रोल पम्प के विचाराधीन वाद सं0-552/99-00 के शमन के सम्बन्ध में ।

बोर्ड द्वारा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन के पत्रांक-216/ दि0 21 जून 2001 को जारी गाइड लाइन्ज को सर्वसम्मति से अंगीकृत करते हुए एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

(9) दूर संचार केन्द्र, देहरादून के विचाराधीन वाद सं0-नोटिस ऋषि-6/96-97 एवं ऋषि-21/94-95 में शमन के सम्बन्ध में ।

निर्णय हुआ कि एक सप्ताह के अन्दर आर.सी. जारी करते हुए शमन शुल्क की वसूली की कार्यवाही करायी जाय। अतः एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

Secretary Vice Chairman Chairman/Commissioner

169

Scanned by CamScanner

10. औद्योगिक क्षेत्र बहादराबाद में यू.पी.एस.आई.डी.सी द्वारा विकसित आवासीय योजना के तलपट मानचित्र की स्वीकृति में विकास एवं अन्य शुल्क निगम से न लेने के सम्बन्ध में।	औद्योगिक विकास क्षेत्र बहादराबाद में यू.पी.एस.आई.डी. सी द्वारा 5.277 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर विकसित आवा. योजना का आवंटन निगम द्वारा बिना प्राधिकरण की स्वीकृति प्राप्त किये कर दिया गया था। उक्त तलपट मानचित्र के विनियमितीकरण हेतु कुल देय शुल्क रू0 62,84,950.00 प्राधिकरण कोष में जमा कराये जाने हेतु निगम को सूचित किये जाने पर उनके प्रबन्ध निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के सभी भूखण्डों का आंवटन पूर्व में ही किया जा चुका है। ओर अब अन्य शुल्क लिया जाना सम्भव नही है। प्रस्ताव पर विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भूखण्ड धारकों से भवन मानचित्र स्वीकृति के समय रू0 130.00 प्रति वर्ग मी0 की दर से विकास शुल्क लिया जाय।	निर्णयानुसार अनुपालन किया जा रहा है।
11. हर की पैडी पर लिफ्ट की योजना ।	हर की पैडी पहाडी पर लिफ्ट की योजना कार पार्किंग, रैस्टोरण्ट व लॉज आदि बनाने विषयक प्रस्ताव पर श्री राममूर्ति वीर गैर सरकारी सदस्य द्वारा सुझाव दिया गया कि कथित पहाड कच्चा है वर्षा ऋतु में इससे भू-स्खलन होने की आशंका हो सकती है। इस पर अध्यक्ष/आयुक्त ने निर्देश दिये है कि उक्त स्थल का जी.एस.आई तथा रूड़की विश्वविद्यालय की भूगर्भ अभियान्त्रिकी द्वारा जाँच कराने के उपरान्त ही इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जाय।	जनप्रतिनिधियों द्वारा इस आधार पर विरोध किया जा रहा है कि पूर्व में दुर्घटना पहाड धंसने से हो चुकी है, जिससे रेलवे लाइन भी बाधित हुई थी। अत:इस प्रकरण पर बातचीत जारी है।

Scanned by CamScanner

(10) औद्योगिक क्षेत्र बहादराबाद में यू.पी.एस.आई.डी.सी. द्वारा विकसित आवासीय योजना के तलपट मानचित्र की स्वीकृति में विकास एवं अन्य शुल्क निगम से न लेने के सम्बन्ध में।

इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर निर्णय होने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जाय।

(11) हर की पैडी पर लिफ्ट की योजना ।

प्रस्ताव अनुपयुक्त पाया गया है। अत: निर्णय हुआ कि एजेण्डा मद से समाप्त कर दिया जाय।

(12) प्राधिकरण के सम्पत्ति अनुभाग तथा लेखानुभाग को कम्प्यूटरीकरण कराया जाना ।

निर्णय हुआ कि आई.टी. मस्तिष्क. कॉम ऋषिकेश द्वारा तैयार प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर रू0 10.00 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। तद्नुसार उक्त प्रस्तावित कार्य नियमानुसार पूर्ण कराया जाय।

इसके अतिरिक्त सचिव, आवास एवं शहरी विकास के पत्र सं0-369/पी.ए./2002 दि0 4 मार्च 2002 के अनुपालन में लेपटोप क्रय करने हेतु रू0 1.48 लाख की अतिरिक्त स्वीकृति बोर्ड द्वारा प्रदान की गई। एजेण्डा मद से सामप्त किया जाता है।

(13) अन्य बिन्दु अध्यक्ष की अनुमति से ।

(1) डामकोठी से सिंहद्वार नहर की पटरी का सौन्दर्यीकरण कराने के सम्बन्ध में।

निर्णय हुआ कि जिलाधिकारी हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राधिकरण से ह.वि.प्रा. को अनापत्ति पत्र दिलवायेंगे, ताकि डामकोठी से सिंहद्वार नहर की पटरी का सौन्दर्यीकरण कार्य कराया जा सके।

(2) पुराने विकसित शहर में सीवर लाईन बिछाने के सम्बन्ध में ।

निर्णयानुसार कार्य गंगा प्रदूषण नियन्त्रण ईकाई द्वारा कार्य कराया जा रहा है। अत: एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

Secretary | Vice Chairman | Chairman/Commissioner

Scanned by CamScanner

12. प्राधिकरण के सम्पत्ति अनुभाग तथा लेखानुभाग को कम्प्यूटरी करण कराया जाना ।	निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में किसी सक्षम एजेन्सी द्वारा एक विस्तृत प्रोजेक्ट तैयार कर आगामी बैठक में लाया जाय।	निर्णयानुसार प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करायी गयी है। जिस पर अनुमानित व्यय लगभग रू0 10.00 लाख आने की सम्भावना है।
13. अन्य बिन्दु अध्यक्ष की अनुमति से।	श्री राममूर्ति वीर गैर सरकारी सदस्य द्वारा निम्न सुझाव दिये गये है:- 1. डामकोठी से सिंहद्वार नहर की पटरी का सौन्दर्यीकरण करते हुए फुव्वारे, बेंच बनाये जायें इस पर उपाध्यक्ष,ह.वि.प्रा.ने सुझाव दिया कि सौन्दर्यीकरण प्रक्रिया पूर्ण करने से पूर्व उक्त मार्ग पर साइकिल, रिक्शा, स्कूटर आदि का चलना बन्द किया जाय। क्योंकि इससे भ्रमणकारियों को दुर्घटना का सतत भय बना रहता है।	40 बेंचे लगवाई जा चुकी है। सौन्दर्यीकरण कार्य प्रगति पर है। अवैध वाहनों को रोकने हेतु प्राधिकरण स्तर से व्यवस्था की जा रही है तथा इस सम्बन्ध में पुलिस को लिखा जा चुका है पुलिस द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
	2. पुराने विकसित शहर में सीवर का लाईन बिछाने की कार्यवाही गंगा प्रदूषण नियन्त्रण ईकाई द्वारा यह योजना द्वितीय चरण में शामिल की गयी है। अतः कार्यवाही गंगा प्रदूषण नियन्त्रण ईकाई द्वारा की जानी है।	कार्य गंगा प्रदूषण नियन्त्रण ईकाई द्वारा कराया जा रहा है।
	3. विष्णुघाट पर सुलभ शौचालय के सम्बन्ध में उनके सुझाव से सहमत होते हुए निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित विभाग द्वारा भूमि उपलब्ध होने पर ह.वि.प्रा.	टेण्डर किया जा चुका है। नगरपालिका की एन.ओ.सी. प्राप्त नही हो रही है। इस

Scanned by CamScanner

द्वारा निर्माण किया जायेगा।

में उपाध्यक्ष की जिलाधिकारी/ प्रशासक न.पा.हरिद्वार से वार्ता भी हो चुकी है।

4. ऋषिकेश व मुनिकीरेती, नगर पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा प्रस्तुत सुझाव के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष, ह.वि.प्रा. द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के साथ एक बैठक कर स्थल पर ही समस्या का समाधान किया जायेगा।

निर्णयानुसार बैठक कर स्थल पर ही समस्या का निराकरण किया गया।

Scanned by CamScanner

प्राधिकरण की 34 वीं बोर्ड बैठक दि0 26-03-2002 का एजेण्डा

Scanned by CamScanner

मद सं0-34.04

विषयः हरिद्वार विकास प्राधिकरण के वर्ष 2001-02 का पुनरीक्षित एवं वर्ष 2002-2003 के प्रस्तावित आय व्ययक के सम्बन्ध में।

अ. वर्ष 2001-02 का पुनरीक्षित आय-व्ययक

प्राधिकरण का वर्ष 2001-02 का मूल आय-व्ययक प्राधिकरण की गत बोर्ड बैठक जून 2001 में स्वीकृत किया गया था जिसमें कुल आय रू0 2867.00 लाख तथा कुल व्यय रू0 2749.70 लाख का स्वीकृत किया गया था। उक्त के विरूद्ध 15 मार्च 2002 तक की उपलब्धियों में कुल आय रू0 421.72 लाख तथा कुल व्यय रू. 535.22 लाख का हुआ है। इस आय में मुख्य रू. 20.00 करोड़ का ऋण हडकों से लिया जाना प्रस्तावित था जो कि नही लिया गया है। प्राधिकरण द्वारा इस वर्ष रू0 80.00 लाख का भुगतान ट्रांसपोर्ट नगर हरिद्वार हेतु अपने स्रोतो से उपलब्ध राशि से किया गया है। अतः ब्याज से बचने हेतु ऋण नही लिया गया है। इसके अतिरिक्त रू. 45.00 लाख स्टाम्प ड्यूटी मद में राजस्व परिषद, इलाहाबाद उ.प्र.से प्राप्त होना था जो कि अथक प्रयासों के बाबजूद अभी तक प्राप्त नही हुआ है। भूमि अर्जन में शासन स्तर से हो रहे बिलम्ब के कारण इस वर्ष नई योजनाओं में बिक्रय से प्राप्त अनुमान रू. 2.00 करोड़ के विरूद्ध भी प्राप्ति भी शून्य रही है। प्राधिकरण स्तर पर सभी मदों में प्राप्ति के विशेष प्रयास किये गये हैं। फलस्वरूप शमन आदि के लक्ष्य पूर्ण कर लिये गये है। विकास शुल्क से आय ले-आउट की पत्रावलियों पर निर्भर होता है। वर्तमान में कोई भी ले-आउट की पत्रावलियाँ लम्बित नही है। इस वर्ष ले-आउट के मामले कम प्राप्त होने के कारण प्राप्ति भी कम रही हैं।

आय के सापेक्ष व्यय में भी कमी रही हैं। पूंजीगत व्ययों में मुख्य रूप से प्राविधान भूमि क्रय एवं इन योजनाओं में विकास कार्यो हेतु कुल रू. 21.85 करोड़ का रखा गया था जिसके विरूद्ध व्यय मात्र रू. 0.80 करोड़ का ही किया जा सका है। अवस्थापना विकास निधि मद में प्राविधान रू. 2.50 करोड़ के विरूद्ध प्राप्त स्वीकृतियों के क्रम में वास्तविक व्यय रू. 3.34 करोड़ का हुआ है। राजस्व व्यय कुल प्राविधान रू. 1.39 करोड़ के विरूद्ध मात्र रू0 0.86 करोड़ के हुए है। इस प्रकार प्राधिकरण के पुनरीक्षित आय-व्ययक में कुल आय रू0 504.00 लाख तथा कुल व्यय रू0 583.47 लाख के प्रस्तावित है।

ब. वर्ष 2002-03 का प्रस्तावित आय-व्ययक

प्राधिकरण के प्रस्तावित आय-व्ययक में कुल आय रू0 36.02 करोड़ तथा कुल व्यय रू0 35.61 करोड़ का प्रस्तावित किया जा रहा है। पूर्ण मदों वार विवरण संलग्न है।

इस वर्ष के बजट में मुख्य व्यय नई योजनाओं हेतु भूमि क्रय एवं इनमें विकास कार्यों आदि का है

Scanned by CamScanner

(3) विष्णुघाट पर सुलभ शौचालय के सम्बन्ध में ।

निर्णय हुआ कि जिलाधिकारी, नगरपालिका, हरिद्वार से ह.वि.प्रा. को अनापत्ति पत्र शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करायेंगे, ताकि सुलभ शौचालय का निर्माण प्रारम्भ हो सके। अतः एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

(4) ऋषिकेश व मुनिकीरेती, नगर पंचायतों अध्यक्षों के सुझाव सम्बन्ध में ।

एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

मद सं0-34.04: हरिद्वार विकास प्राधिकरण के वर्ष 2001-02 का पुनरीक्षित एवं वर्ष 2002-03 के प्रस्तावित आय-व्ययक के सम्बन्ध में ।

पुनरीक्षित आय-व्ययक वर्ष 2001-02 में प्रस्तावित आय रू0 504.00 लाख एवं व्यय रू. 583.62 लाख तथा प्रस्तावित आय-व्ययक वर्ष 2002-03 में कुल आय रू0 3577.00 लाख तथा कुल व्यय रू0 3556.85 लाख का निम्न सुझावों के साथ अनुमोदित किया गया :-

(1) राजस्व आय में स्टाम्प ड्यूटी हेतु उ.प्र.शासन आवास विभाग के पत्र सं0-6668 दि0 16-3-02 के क्रम में उ.प्र. में लम्बित धनराशि रू0 45.00 लाख की मांग उत्तरांचल शासन से की जाय। इसके अतिरिक्त उत्तरांचल प्रदेश के गठन के बाद की इस मद की धनराशि लगभग रू0 50.00 लाख की भी मांग राजस्व परिषद, उत्तरांचल शासन से की जाय।

(2) शमन शुल्क की आय हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाय।

(3) फ्री-होल्ड शुल्क के कुल कितने मामले है तथा कितने लोंगों ने विकल्प दिया है तथा विकल्पधारियों का समस्त विवरण सचिव ह.वि.प्रा. द्वारा उपाध्यक्ष/अध्यक्ष को एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित किया जायेगा ।

(4) रिवोल्विंग फंड में कितना पैसा है सचिव ह.वि.प्रा. ज्ञात करेंगे तद्नुसार योजना बनायी जाय ।

Secretary

Vice Chairman

Chairman/Commissioner

Scanned by CamScanner

जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:-

(1) ज्वालापुर कड़च्छ के पास यू.पी.एस.आई.सी.सी. की 6.50 एकड़ भूमि क्रय हेतु रू. 2.00 करोड़ का प्राविधान ।

(2) ट्रांसपोर्ट नगर हरिद्वार एवं ऋषिकेश हेतु भूमि क्रय हेतु रू0 8.00 करोड़ का प्राविधान

(3) हरिलोक योजना फेस-2 भूमि क्रय हेतु आंशिक भुगतान रू0 10.00 करोड़ का प्राविधान ।

(4) इन योजनाओं में आवश्यक विकास/निर्माण कार्यो हेतु कुल रू. 6.50 करोड़ का प्राविधान हैं।

1. राजस्व आय

राजस्व आय की मुख्य मदों में स्टाम्प ड्यूटी, विनियोजनों से ब्याज, मानचित्र शुल्क, शमन शुल्क, विकास शुल्क एवं फ्री-होल्ड शुल्क आदि से प्राप्तियों को दर्शाया जाता है। जो कि वर्ष 2002-03 हेतु कुल रू0 400.00 लाख की प्रस्तावित है जो कि गत वर्ष की वास्तविक प्राप्ति से रू0 104.00 लाख अधिक है। वर्ष 2001-02 में स्टाम्प ड्यूटी मद में राजस्व परिषद कार्यालय इलाहाबाद, उ0प्र0से रू0 45.00 लाख की राशि प्राप्त नही हो पायी है। इसके अतिरिक्त लगभग रू. 50.00 लाख के बिल उत्तरांचल शासन को भेजे जाने है। उक्त के दृष्टिगत रू. 70.00 लाख की प्राप्ति का अनुमान इस मद में प्रस्तावित है। प्राधिकरण के पास विभिन्न बैंकों में उपलब्ध लगभग रू. 6.00 करोड़ की सावधि जमाओं की राशि का उपयोग भूमि क्रय/विकास कार्यो में किया जाना है। इस कारण विनियोजन से ब्याज प्राप्ति के अनुमान को कम किया गया है। शेष मदें सामान्य रूप से वृद्धि करते हुए प्रस्तावित की गयी है।

2. पूंजीगत आय

पूंजीगत आय में मुख्य रूप से नई योजनाओं में सम्पत्ति विक्रय, अनुदान/ऋणों की प्राप्तियाँ तथा नई योजनाओं में सम्पत्ति विक्रय आदि से प्राप्त आय को सम्मिलित किया गया है। वर्तमान में प्राधिकरण के पास विक्रय हेतु सम्पत्ति उपलब्ध नही है। इस वर्ष भूमि अर्जन/क्रय की कार्यवाही प्राथमिकता पर की जा रही है। अत: मुख्य प्राप्ति रू. 500.00 लाख नई योजना में सम्पत्ति विक्रय/पंजीकरण से प्रस्तावित है। ऋणों की प्राप्ति मद में हडको से रू0 2500.00 लाख का ऋण प्रस्तावित है। हालांकि प्राधिकरण का प्रयास रहेगा कि ऋण कम से कम ही लिया जाय। इस प्रकार पूंजीगत आय कुल रू0 3202.00 लाख की प्रस्तावित की जा रही है।

Scanned by CamScanner

3. राजस्व व्यय

राजस्व व्यय में मुख्य रूप से अधिष्ठान के वेतन भत्ते, कार्यालय व्यय जैसे स्टेशनरी, डाक व्यय, टेलीफोन व्यय, कानूनी व्यय, छपाई, विज्ञापन, अतिथि सत्कार, मशीनरी/कम्प्यूटर अनुरक्षण एंव वाहन अनुरक्षण तथा डीजल पैट्रोल आदि पर व्यय सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त सम्परीक्षा शुल्क तथा कर्मचारियों को भवन निर्माण /वाहन क्रय हेतु अग्रिम भी राजस्व व्यय में प्रस्तावित है। इस प्रकार कुल मिलाकर राजस्व व्यय रू0 145.85 लाख के प्रस्तावित है जो कि आवश्यकतानुसार एवं नियन्त्रण की दृष्टि से व्यावहारिक है।

4. पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय में मुख्य रूप से भू-अर्जन व्यय तथा योजनाओं में विकास/निर्माण कार्यों पर व्यय, हडको ऋण वापसी भुगतान आदि को सम्मिलित कर दर्शाया गया है। मुख्य व्यय भू-अर्जन, नई योजनाओं का विकास तथा अवस्थापना विकास निधि से व्ययों को प्रस्तावित किया गया है।
इस प्रकार कुल रू0 3415.00 लाख का प्राविधान पूंजीगत व्यय हेतु प्रस्तावित किया जा रहा है।

कृपया उपरोक्तानुसार प्राधिकरण का वर्ष 2001-02 पुनरीक्षित एवं वर्ष 2002-03 का प्रस्तावित आय-व्ययक प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

Scanned by CamScanner

हरिद्वार विकास प्राधिकरण

बजट

(रू० लाख में)

क्र.	मद	1999-2000 वास्तविक	2000-2001 वास्तविक	2001-2002 प्रस्तावित	2001-2002 दि015.3-2002 तक वास्तविक	2001-2002 पुनरीक्षित	2002-2003 प्रस्तावित
(अ)	राजस्व आय						
1	स्टाम्प ड्यूटी	0.00	61.43	50.00	0.00	0.00	70.00
2	विनियोजनों पर ब्याज प्राप्तियाँ	35.87	37.98	125.00	93.31	94.00	35.00
3	मानचित्र शुल्क	10.45	15.74	17.00	12.35	12.50	20.00
4	शमन शुल्क	61.95	30.93	50.00	35.20	50.00	60.00
5	पर्यवेक्षण शुल्क	13.30	11.43	12.00	7.84	9.00	15.00
6	अनुदान प्राप्ति	16.75	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
7	विविध(टेण्डर फीस, लीज रेन्ट आदि)	32.61	5.62	7.00	3.69	4.00	10.00
8	विकास शुल्क	110.48	145.10	150.00	84.68	100.00	150.00
9	अम्बार शुल्क	3.44	12.24	15.00	12.00	13.00	15.00
10	फ्री-होल्ड शुल्क	23.32	32.14	20.00	11.51	13.50	15.00
(अ)	कुल राजस्व आय	**308.17**	**352.61**	**456.00**	**260.58**	**296.00**	**400.00**
(ब)	पूंजीगत आय						
1	ऋषिलोक योजना	4.40	4.57	2.00	2.54	2.75	3.00
2	शिवलोक	31.72	28.19	9.00	16.41	17.50	7.00
3	हरिलोक	141.26	88.36	70.00	34.30	40.00	50.00
4	श्यामलोक	115.72	63.70	45.00	34.28	38.00	50.00
5	हुडकों एवं अन्य संस्थाओं से ऋणों की प्राप्ति	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,500.00
6	आई.डी.एस.एम.टी.	0.00	3.25	10.00	0.00	0.00	0.00
7	गायत्री लोक	52.88	64.36	70.00	44.17	70.00	55.00
8	अन्य नई योजना	13.09	0.00	200.00	2.47	3.00	500.00
9	प्राधिकरण कर्मचारियों को भवन निर्माण/वाहन ऋण की वसूली	0.76	1.27	5.00	6.41	6.75	7.00
10	डिपाजिट कार्यों हेतु प्राप्ति	0.00	0.00	0.00	20.56	30.00	30.00
(ब)	कुल पूंजीगत आय	**359.83**	**253.70**	**2411.00**	**161.14**	**208.00**	**3202.00**
	कुल आय (अ+ब)	**668.00**	**606.31**	***2867.00***	***421.72***	***504.00***	***3602.00***

Scanned by CamScanner

हरिद्वार विकास प्राधिकरण

बजट

(रू0 लाख में)

क्र.	मद	1999-2000 वास्तविक	2000-2001 वास्तविक	2001-2002 प्रस्तावित	2001-2002 दि015.3-2002 तक वास्तविक	2001-2002 पुनरीक्षित	2002-2003 प्रस्तावित
(अ)	राजस्व व्यय						
1-	अधिष्ठान						
(i)	कर्मचारी वेतन/भत्ते	50.88	48.56	55.00	48.88	53.00	60.00
(ii)	यात्रा भत्ता	1.20	1.34	1.00	0.39	0.50	0.60
(iii)	दैनिक वेतन	0.28	0.27	0.40	0.28	0.32	0.35
(iv)	अवकाश नकदीकरण/पेंशन अंशदान	2.98	1.21	1.50	0.00	0.75	1.00
	योग (अ)	**55.34**	**51.38**	**57.90**	**49.55**	**54.57**	**61.95**
2-	कार्यालय विविध व्यय						
(i)	डाक व्यय	0.26	0.17	0.30	0.08	0.15	0.20
(ii)	स्टेशनरी	1.48	1.33	2.00	1.32	1.50	2.00
(iii)	कार्यालय भवन अनुरक्षण	2.51	4.64	3.00	3.05	3.25	6.00
(iv)	टेलीफोन	3.86	3.07	4.00	2.07	2.50	2.75
(v)	पुस्तकालय	0.07	0.12	0.25	0.15	0.20	0.20
(vi)	कानूनी व्यय	1.11	1.02	1.00	1.06	1.25	5.00
(vii)	अतिथि सत्कार	0.51	0.22	0.50	0.40	0.50	1.00
(viii)	छपाई	0.78	0.75	1.00	0.24	0.50	1.00
(ix)	विज्ञापन	2.01	3.86	5.00	3.22	5.00	8.00
(x)	सम्परीक्षा शुल्क	1.48	1.50	2.00	2.00	2.00	2.00
(xi)	विविध	1.43	1.10	1.00	1.00	1.10	1.25
(xii)	कर्मचारी कल्याण	0.00	0.00	0.25	0.00	0.15	0.25
(xiii)	मशीनरी अनुरक्षण	0.26	0.36	0.50	0.62	0.70	0.75
(xiv)	विद्युत अनुरक्षण	1.26	0.36	0.50	0.38	0.50	0.50
(xv)	विवेकाधीन	0.08	0.19	0.25	0.20	0.25	0.50
(xvi)	अस्थाई अग्रिम	1.51	0.30	0.75	0.44	0.50	0.50
(xvii)	कम्प्यूटर अनुरक्षण	0.42	0.21	1.50	0.20	0.40	2.00
	योग (ब)	19.03	19.20	23.80	16.43	20.45	33.90

Scanned by CamScanner

हरिद्वार विकास प्राधिकरण

बजट

(रू0 लाख में)

क्र.	मद	1999-2000 वास्तविक	2000-2001 वास्तविक	2001-2002 प्रस्तावित	2001-2002 दि015.3-2002 तक वास्तविक	2001-2002 पुनरीक्षित	2002-2003 प्रस्तावित
3-	वाहन						
(i)	अनुरक्षण	1.68	2.30	3.00	1.89	2.50	3.00
(ii)	पैट्रोल/डीजल	3.72	4.63	5.00	4.78	5.00	6.00
	योग (स)	5.40	6.93	8.00	6.67	7.50	9.00
4-	कर्मचारी अग्रिम						
(i)	वाहन	0.29	0.02	1.00	0.00	0.50	1.00
(ii)	भवन/भूखण्ड	3.62	11.54	8.00	2.50	3.00	5.00
	योग (द)	3.91	11.56	9.00	2.50	3.50	6.00
5-	मास्टर प्लान	0.26	0.54	30.00	11.32	20.00	25.00
6-	विकास कार्य (अनुदान)	17.57	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
7-	आवास बन्धु	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग (य)	20.83	3.54	40.00	11.32	20.00	35.00
	कुल योग राजस्व व्यय (अ+ब+स+द+य)	104.51	92.61	138.70	86.47	106.02	145.85
	पूंजीगत व्यय						
1	कार जीप मशीनरी आदि क्रय	4.48	0.00	10.00	3.67	5.00	10.00
2	कम्प्यूटर क्रय	3.53	2.99	5.00	0.00	0.00	7.00
3	फ्रर्नीचर/फिक्चर्स क्रय	0.56	1.28	1.00	1.04	1.10	1.00
4	क्रेन्द्रीय स्टोर (सीमेन्ट व स्टील)	56.32	39.25	60.00	0.00	0.00	0.00
	योग (अ)	64.89	43.52	76.00	4.71	6.10	18.00

Scanned by CamScanner

हरिद्वार विकास प्राधिकरण

बजट

(रू0 लाख में)

क्र.	मद	1999-2000 वास्तविक	2000-2001 वास्तविक	2001-2002 प्रस्तावित	2001-2002 दि015.3-2002 तक वास्तविक	2001-2002 पुनरीक्षित	2002-2003 प्रस्तावित
5	योजना भूमि क्रय						
(i)	गायत्रीलोक	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	नई योजना	0.00	0.00	2,000.00	80.00	80.00	2,000.00
	योग (ब)	30.27	0.00	2000.00	80.00	80.00	2000.00
6	योजना विकास/निर्माण कार्य						
(i)	शिवलोक	5.99	0.63	1.00	1.00	1.00	1.00
(ii)	श्यामलोक	14.34	22.27	10.00	13.85	15.00	5.00
(iii)	हरिलोक	29.37	48.76	15.00	7.84	10.00	5.00
(iv)	टी.एच.डी.सी.पुनर्वास योजना	0.47	0.75	1.00	0.00	0.00	0.00
(v)	ऋण वापसी	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
(vi)	ऋणों पर देय ब्याज	7.34	0.00	30.00	0.00	0.00	100.00
(vii)	आई.डी.एस.एम.टी.	16.94	2.82	10.00	4.86	6.00	0.00
(viii)	शोध/ट्रेनिंग/परामर्श शुल्क	2.91	1.22	3.00	0.00	0.35	1.00
(1x)	भवन/इन्फ्रास्ट्रक्चर	142.53	224.04	250.00	333.88	350.00	350.00
(x)	गायत्रीलोक	8.78	7.23	5.00	0.00	0.00	5.00
(xi)	आश्रय योजना/ई.डब्लू.एस.	13.08	13.05	25.00	0.91	2.00	25.00
(xiii)	नई योजना	16.20	4.25	185.00	1.30	2.00	650.00
(xiv)	डिपाजिट कार्यों पर व्यय	0.00	0.00	0.00	0.40	5.00	55.00
	योग (स)	310.34	325.02	535.00	364.04	391.35	1397.00
	कुल योग पूंजीगत व्यय	405.50	368.54	2611.00	448.75	477.45	3415.00
	सकल योग व्यय	510.01	461.15	2749.70	535.22	583.47	3560.85
	अन्तिम अवशेष	157.99	145.16	117.30	-113.50	-79.47	41.15

डिपाजिट कार्यों की मदों को सुविधा की दृष्टि से इस आय-व्ययक में अलग से दर्शाया गया है।

Scanned by CamScanner

मद सं0-34.05

विषय: पन्तद्वीप के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग पर दो सब-वे बनाये जाने के सम्बन्ध में।

श्री शिवनगर कालोनी विकास समिति भोपतवाला हरिद्वार के पत्र दि0 10-12-01 के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर पन्तद्वीप के सामने दो सब-वे के माध्यम से पार्किंग के ट्रैफिक एवं खडखडी की ओर से आने वाले ट्रैफिक को नियन्त्रित करने की दृष्टि से प्रस्ताव दिया गया है जिस पर आयुक्त महोदय के आदेश दि0 18-12-01 द्वारा बैठक में रखे जाने के निर्देश दिये गये थे। माननीय सदस्य श्री राममूर्ति वीर द्वारा भी प्रस्तावित कार्य को कराये जाने का अनुरोध किया जा रहा है।

कार्य योजना को अर्द्धकुम्भ मेले के परिपेक्ष्य में राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से ही कराया जा सकता है। अत: यह प्रकरण सम्बन्धित विभाग को सन्दर्भित कर दिया जाय।

मद सं0-34.06

विषय: भल्ला कालेज मैदान की भूमि पर स्पोर्टस काम्पलेक्स बनाने हेतु भूमि को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

भल्ला कालेज मैदान पर एक अति आधुनिक स्पोर्टस काम्पलेक्स का निर्माण प्रस्तावित है जिस पर लगभग रू0 3.98 करोड का व्यय प्रस्तावित है। अत : इस धन की व्यवस्था की जानी प्रस्तावित है।

मद सं0-34.07

विषय: ऋषिकेश में 3 हाई मास्ट लाईट लगाने के सम्बन्ध में।

श्री एस.सी.शर्मा सदस्य, ह.वि.प्रा. तथा श्रीमती स्नेहलता शर्मा अध्यक्षा नगरपालिका ऋषिकेश द्वारा अर्द्ध कुम्भ मेला-2004 से पूर्व ऋषिकेश में कम से कम 3 हाई मास्ट लाईटो के लगाने का प्रस्ताव किया है, जिसके लगाने व अन्य आवश्यक विद्युत कार्यो पर लगभग रू0- 20.00 लाख का व्यय अनुमानित है। अत: प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

Scanned by CamScanner

मद सं0-34.05: पन्तद्वीप के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग पर दो सब-वे बनाये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय हुआ कि जिलाधिकारी, हरिद्वार, एस.एस.पी. हरिद्वार एवं उपाध्यक्ष एवं श्री राममूर्ति वीर, सदस्य ह.वि.प्रा. द्वारा संयुक्त निरीक्षण करते हुए उक्त कार्य को अर्द्धकुम्भ मेले में प्रस्तावित कार्य योजना में शामिल किया जाय। अतः एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

मद सं0-34.06: भल्ला कालेज मैदान की भूमि पर स्पोर्टस काम्पलेक्स बनाने हेतु भूमि को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

निर्णय हुआ कि आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में उनके द्वारा नियत तिथि पर फण्ड की व्यवस्था हेतु ह.वि.प्रा., निजी संस्थाओं एवं एन.जी.ओ. आदि की बैठक कर धन की व्यवस्था होने के पश्चात् ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

मद सं0-34.07: ऋषिकेश में 3 हाई मास्ट लाईट लगाने के सम्बन्ध में।

तीन हाई मास्ट लगाने हेतु अर्धकुम्भ मेले के बजट में प्राविधान किया जाय। एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

मद सं0-34.08: कड़च्छ ज्वालापुर से लगी यू.पी.एस.आई.सी. की 6.5 एकड़ भूमि के भुगतान के सम्बन्ध में।

योजना हेतु भूमि क्रय हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया तथा भुगतान एवं कब्जा आदि की कार्यवाही हेतु शासन स्तर से निर्देश प्राप्त किये जाय। अतः एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

मद सं0-34.09: रोडी सेक्टर में सी.सी.आर(केन्द्रीय नियन्त्रण कक्ष) के निर्माण के सम्बन्ध में।

निर्णय हुआ कि जिलाधिकारी, एस.एस.पी. एवं उपाध्यक्ष ह.वि.प्रा. संयुक्त बैठक कर विस्तृत प्रोजेक्ट तैयार कराते हुए अग्रिम कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेंगे ।

Secretary | Vice Chairman | Chairman/Commissioner

Scanned by CamScanner

मद सं0-34.08

विषयः कड़च्छ ज्वालापुर से लगी यू0पी0एस0आई0सी0 की 6.5 एकड़ भूमि के भुगतान के सम्बन्ध में।

कड़च्छ ज्वालापुर से लगी भूमि यू0पी0एस0आई0सी0 निगम लिमिटेड कानपुर की 6.5 एकड़ भूमि क्रय करने के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-185/9-आ-3-93-11वि0/93 दिनांक 16-8-93 द्वारा जिलाधिकारी हरिद्वार की अध्यक्षता में गठित बैठक दिनांक 6-9-2000 में रू0-400/- प्रति वर्ग मीटर की दर से क्रय की जाने संस्तुति की गयी थी जिस पर आयुक्त गढवाल मण्डल, गढ़वाल द्वारा दिनांक 28-4-2001 मे प्राप्त हो गयी थी उत्तरांचल राज्य के गठन के कारण भूमि के भुगतान को किये जाने हेतु मामला शासन को पत्र सं0-274/अभियन्त्रण दिनांक 25-5-2001 तथा अनुस्मारक पत्र दि. 21-9-2001, 18-1-2002 तथा 8-2-2002 द्वारा सन्दर्भित किया गया है जो कि शासन स्तर पर लम्बित है।

मद सं0-34.09

विषयः रोडी सेक्टर में सी.सी.आर(केन्द्रीय नियन्त्रण कक्ष) के निर्माण के सम्बन्ध में।

अर्द्धकुम्भ मेले से सम्बन्धित बैठक दि0 22-2-02 एवं 9-3-02में निर्णय हुआ था कि कुम्भ/अर्द्धकुम्भ मेलों के आयोजनों के समय रोडी सेक्टर में अस्थायी सी.सी.आर बनाया जाता है जिस पर अत्यधिक व्यय आता है। अतः गंगा नदी से 200 मी0 के अन्तर्गत नियन्त्रण के परिपेक्ष्य में एवं महायोजना में स्थायी निर्माण कुम्भ मेला क्षेत्र में अनुमन्य न होने के कारण शासन की अनुमति से अर्द्धकुम्भ मेला 2004 से पूर्व स्थायी सी.सी.आर बनाया जाना प्रस्तावित है। जिसपर रू0 75.00 लाख का व्यय अनुमानित है। इसके अन्तर्गत भूतल पर स्टिल्ड(पार्किंग हेतु) प्रथम तल पर मीटिंग हाल, नियन्त्रण कक्षों व मेलाधिकारी कार्यालय कक्ष, द्वितीय तल पर लगभग 30 कमरे जो पूर्व से तैनात सेक्टर मजिस्ट्रेटों आदि के ठहरने की व्यवस्था हेतु प्राविधान के साथ-साथ टेरेस पर मुख्य कन्ट्रोल रूम का प्राविधान किया जा सकता है। जिस भवन का प्रयोग मेले समाप्त होने के पश्चात यात्रियों को उचित किराये पर दिया जा सकेगा। तथा जिससे प्राप्त आय से इस भवन के रखरखाव एव मरम्मत का कार्य सुचारू रूप से किया जा सकेगा।

Scanned by CamScanner

मद सं0-34.10

विषयः ललतारों पुल वाल्मिकी चौक पर श्री अनिरूद्ध कुमार झा द्वारा प्रस्तावित भवन मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

श्री अनिरूद्ध कुमार झा द्वारा ललतारों पुल के निकट बाल्मिकी चौक पर स्थित भवन मानचित्र सं0-18/95-96 स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया। भवन का बेसमेन्ट तथा भूतल पूर्व निर्मित है, वर्तमान में उनके द्वारा बेसमेन्ट तथा भूतल के आंशिक परिवर्तन के साथ प्रथम तथा द्वितीय तल पर आवासीय निर्माण प्रस्तावित किया गया है। श्री अनिरूद्ध झा के प्रश्नगत भवन का एक मानचित्र1981 में नियत प्राधिकारी,विनियमित क्षेत्र द्वारा स्वीकृत किया गया था। हरिद्वार महायोजना जो कि वर्ष-1992 से लागू हुआ के अनुसार प्रश्नगत क्षेत्र का भू प्रयोग ' वर्तमान निर्मित क्षेत्र' (बी-1) है, तथा महायोजना प्रस्ताव के अनुसार इनके भूखण्ड के सामने मार्ग की प्रस्तावित चौडाई 30 मीटर है। श्री झा का भूखण्ड कार्नर का होने तथा इनके भूखण्ड का दक्षिण तथा पश्चित दिशा के अधिकांश भाग दोनो महा-योजना मार्गो की प्रस्तावित चौड़ाई से प्रभावित होने के कारण इनका मानचित्र प्राधिकरण द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। श्री झा द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र वर्तमान निर्मित के अन्तर्गत होने के दृष्टि से तथा प्रस्तावित निर्माण पूर्व निर्मित भवन के ऊपर होने के कारण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया जाता रहा है। उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में प्रभारी अधिकारी, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तरांचल देहरादून से उनकी राय प्राप्त की गई, उनके पत्र दि. 4-7-2001 तथा 15-12-01 द्वारा निर्माण नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार होने की स्थिति में निर्मित क्षेत्रों के लिये मार्ग की चौडाई, जोनिंग रेगुलेशन एवं निर्माण उपविधि में निहित प्रावधानुसार प्राधिकरण स्तर से कार्यवाही सुनिश्चित करने की संस्तुति की गई। प्रकरण महायोजना मार्ग की प्रस्तावित चौडाई में पूर्व निर्मित भवन के ऊपर अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में नीति विषयक होने के कारण प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद सं0-34.11

विषयः प्राधिकरण में अनुबन्ध पर कार्यरत सेवानिवृत्त तहसीलदार के अनुबन्ध वेतनवृद्धि पर विचार।

प्राधिकरण में अनुबन्ध पर कार्यरत सेवानिवृत्त तहसीलदार श्री स्वामी शरण कुलश्रेष्ठ का वेतन वर्तमान में मंहगाई के परिपेक्ष्य में कम होने के कारण इनका वेतन प्रतिमाह रू. 4500.00 से बढ़ाकर रू0 8000.00 कन्सोलिडेटेड करने हेतु प्राधिकरण बोर्ड हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

Scanned by CamScanner

मद सं0-34.10: ललतारों पुल वाल्मिकी चौक पर श्री अनिरूद्ध कुमार झा द्वारा प्रस्तावित भवन मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

सर्व सम्मति से मानचित्र अस्वीकृत कर दिया गया तथा एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

मद सं0-34.11: प्राधिकरण में अनुबन्ध पर कार्यरत सेवानिवृत्त तहसीलदार के अनुबन्ध वेतनवृद्धि पर विचार।

सर्व सम्मति से अनुबन्ध पर कार्यरत सेवानिवृत्त तहसीलदार का वेतन एक अप्रैल, 2002 से प्रतिमाह रू0 4500/- से बढ़ाकर रू0 6000/-(कन्सोलिडेटेड) कर दिया जाय। अतः एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

मद सं0-34.12: प्रस्तावित नई योजनाओं हेतु हडकों से ऋण प्राप्त करने हेतु बोर्ड की अनुमति के सम्बन्ध में।

सर्व सम्मति से ह.वि.प्रा. द्वारा प्रारम्भ की जा रही विभिन्न योजनाओं हेतु हडको से जरूरत के अनुसार ऋण प्राप्त करने हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया तथा ऋण की कार्यवाही हेतु आवश्यक प्रपत्रों पर प्राधिकरण की ओर से हस्ताक्षर करने हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत किया जाता है। अतः एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

मद सं0-34.13: विभिन्न विकास कार्यो के सम्बन्ध में।

निर्णय हुआ कि स्वीकृत कार्यो का सम्पूर्ण विवरण दर्शाते हुए अध्यक्ष महोदय से अलग से स्वीकृति ली जायेगी। एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

183

Secretary | Vice Chairman | Chairman/Commissioner

Scanned by CamScanner

मद सं0-34.12

विषयः प्रस्तावित नई योजनाओं हेतु हडकों से ऋण प्राप्त करने हेतु बोर्ड की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण की निम्नलिखित चार योजनाएँ अतिशीघ्र प्रस्तावित है-

1. ट्रांसपोर्टनगर हरिद्वार ।
2. ट्रांसपोर्टनगर ऋषिकेश ।
3. कडच्छ ज्वालापुर में आवासीय योजना ।
4. हरिलोक योजना फेज-।। में आवासीय योजना ।

उपरोक्तानुसार उक्त योजनाओं के लिये भूमि क्रय एवं आवश्यक विकास कार्यो हेतु क्रमशः रू. 6.20 करोड़, रू. 6.00 करोड़, रू. 2.00 करोड़ एवं रू0 15.00 करोड़ कुल रू0 25.20 करोड़ के प्रस्ताव हडको को प्रेषित है। हडको द्वारा उक्त हेतु प्राधिकरण बोर्ड की अनुमति भी चाही गयी है। अतः आवश्यकता के दृष्टिगत उपरोक्त प्रस्ताव बोर्ड की अनुमति हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

Scanned by CamScanner

मद सं0-34.13

विषय: विभिन्न विकास कार्यो के सम्बन्ध में।

अवस्थापना विकास निधि खाते में धनराशि उपलब्ध न होने के कारण आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, गढवाल की अध्यक्षता में अवस्थापना विकास निधि की बैठक दि. 7-12-2001 में प्राधिकरण बोर्ड बैठक की स्वीकृति की प्रत्याशा में निम्नलिखित कार्य स्वीकृत किये गये थे:-

1.	मो0 धीरवाली इलमचन्द कालोनी एवं गोपीचन्द कालोनी में सी.सी. सड़क का निर्माण कार्य	रू 5.00 लाख
2.	ज्वालापुर लकड़हारान में मुख्य बाजार में फेयरडील केमिस्ट के सामने से प्रारम्भ होकर सर्प देवता तिराहे तक सी.सी. सड़क का निर्माण कार्य ।	रू0 2.50 लाख
3.	भोपतवाला में सत्यम् विहार कालोनी के आन्तरिक सड़कों के सुदृढ़ीकरण का कार्य।	रू0 12.50 लाख
4.	मंशा देवी पैदल मार्ग के विद्युतीकरण का कार्य ।	रू0 1.00 लाख
5.	मुनि की रेती में विकास कार्य ।	रू0 7.00 लाख
6.	ऋषिकेश में विकास कार्य।	रू0 10.00 लाख
7.	हरिद्वार में विभिन्न विकास कार्य ।	रू0 30.00 लाख
8.	भल्ला कालेज मैदान पर स्पोर्टस स्टेडियम हेतु ।	रू0 50.00 लाख
9.	भल्ला कालेज मैदान पर स्पोर्टस स्टेडियम (2002-03) हेतु ।	रू0 100.00 लाख
	कुल योग	रू0 218.00 लाख

उक्त में से क्रम सं0-4, 8, एवं 9 को छोड़कर शेष सभी कार्यो हेतु निविदायें आमन्त्रित कर स्थल पर कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है।

अत: प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

Scanned by CamScanner

अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से:-

(1) बैंक्वेट हालों के सम्बन्ध में ह.वि.प्रा. गैर सरकारी सदस्य श्री संजय सहगल व श्री राममूर्ति वीर द्वारा सुझाव दिया गया कि शहर में स्थित समस्त बैंक्वेट हालों में न तो पार्किंग का प्राविधान है, न ही फायर सम्बन्धी सुरक्षा पर्याप्त उपाय है। निर्णय हुआ कि श्री सचिव,ह.वि.प्रा. इस सम्बन्ध में शासन से प्राप्त गाइड लाइन्ज के अनुसार उपाध्यक्ष को एक सप्ताह में अपनी तथ्यात्मक आख्या प्रस्तुत करेंगे।

(2) सहारनपुर ट्रांसपोर्ट नगर की प्रगति के बारे में सचिव ह.वि.प्रा. जानकारी प्राप्त कर अवगत करायेंगे।

(3) निर्णय हुआ कि हरिद्वार स्थित 8 हाईमास्ट लाईट एक सप्ताह के अन्दर नगरपालिका हरिद्वार को हस्तान्तरित कर दिया जाय।

(4) दैनिक जनसत्ता को मुख्यमन्त्री कार्यालय से जारी रू0 1.25 लाख के विज्ञापनों का भुगतान कर दिया जाय।

अन्त में उपाध्यक्ष, ह.वि.प्रा. द्वारा अध्यक्ष महोदय का विशेष आभार व्यक्त किया कि अपने व्यस्तम् कार्यक्रमों में से समय निकालते हुए प्राधिकरण की बोर्ड बैठक हेतु समय प्रदान किया। बैठक में अन्य उपस्थित माननीय सदस्यों का भी आभार व्यक्त करते हुए अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक समाप्त की गयी।

185

Secretary   Vice Chairman   Chairman/Commissioner

Scanned by CamScanner